न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 73/2018 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

अमर सिंह पुत्र श्री टीकम सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम रामपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. गिरीश चौधरी पुत्र श्री प्रताप सिंह जाति जाट निवासी नीमदा गेट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
2. मुकेश कुमार पुत्र श्री मोहन सिंह जाति स्वर्णकार निवासी अमाल मौहल्ला तहसील व जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर प्रकरण संख्या 57/16 उनवानी अमर सिंह बनाम गिरीश चौधरी वगै0।

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–31.03.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0, इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 324 रकवा 0.21 है0 वाके ग्राम रामपुरा तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जिस पर वादी/अपीलाण्ट वहैसियत खातेदार काश्तकार होकर काश्त कर रहा है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण/रैस्पो0 का कोई संबंध सरोकार नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण/रैस्पो0 आये दिन उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी देते रहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन निर्णय से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहें, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। वर्तमान रिकार्ड में अपीलाण्ट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा काबिज है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में तनकीयात कायम हो चुकी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय तनकीवार नहीं किया है। जबकि प्रकरण में एक बार तनकी कायम होने पर निर्णय तनकीवार दिया जाना आवश्यक है अतः अधीनस्थ न्यायालय आदेश 20 नियम 5 सीपीसी की कोई पालना नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि अपीलाण्ट ने जरिये इकरारनामा आराजी का बेचान कर कब्जा भी इकरारनामा के आधार पर सुपुर्द कर दिया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की यह सोच महज काल्पनिक है क्योंकि कानूनन अनरजिस्टर्ड इकरारनामा के आधार पर कोई भी कब्जा नहीं दिया जा सकता है एवं अनरजिस्टर्ड इकरारनामा की कानूनन काई महत्व नहीं होता है और ना ही साक्ष्य में ग्राह्य होता है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कयासो के आधार पर निर्णय पारित करने में भूल की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2018 पेज 276, 1989 पेज 750, आरआरटी 2016–17(सप्ली0) पेज 566, 2009(1) पेज 638, 2006–07(सप्ली0) पेज 672, डीएनजे 2011(2) पेज 732 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2070–73 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा, राजस्व लोक अदालत कैम्प मलाह में एग्रीमेंट टू सेल का बताते हुये, उसके सुनना का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का होना अंकित करते हुये, खारिज किया है। परन्तु कथित इकरारनामा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। हमने मनन किया हस्तगत प्रकरण राजस्व लोक अदालत में निस्तारित किया गया है। किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर में ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प में विधि अनुसार किया जा सकता है। राजस्व लोक अदालत का भी उद्देश्य केवल यही था कि आपसी सहमति एवं राजीनामें के आधार पर चल रही पत्रावलियों का निस्तारण किया जावें। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य कोई राजीनामा होना दृष्टिगोचर नहीं होता है। इसके अतिरिक्त विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चार तनकीयात कायम की गई थी लेकिन अपीलाधीन आदेश मात्र एक पैरा का ही है। जबकि कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रकरण में तनकीयात न्यायालय द्वारा बनाई गई हैं तो प्रत्येक तनकी पर अपना मत देकर और पक्षकारो एवं उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन करते हुये, प्रत्येक तनकी का निर्णय किया जाना चाहिए। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2018 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, तनकीवार स्पष्ट आदेश पारित करें। उभयपक्षकारान को भी

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.05.2021 को उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद लेखा दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

31-3-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर